जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 20.07.2024**

थाना धामपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में थाना धामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 350/24 धारा 137(2)/61(2)/140(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

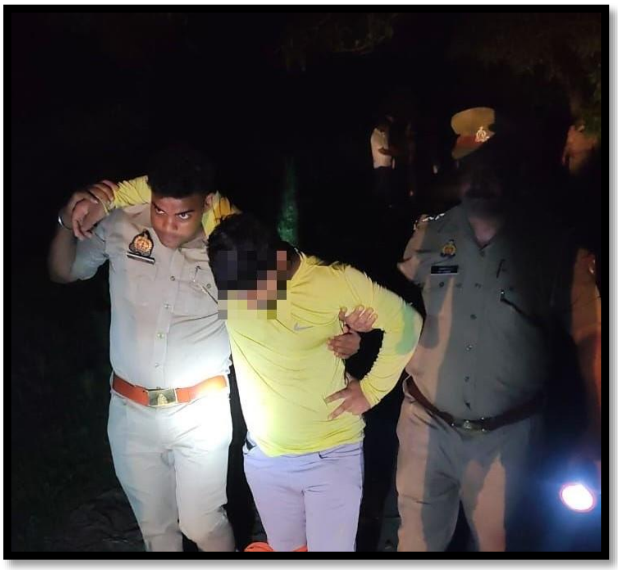

आज दिनांक 20.07.2024 को थाना धामपुर पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत पोषक नहर पुल पटरी के पास चेकिंग की जा रही थी । चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा मुरादाबाद की तरफ से तेजी से आ रही सफेद रंग की टाटा पंच गाडी को रोकने का प्रयास किया गया तो गाडी में मौजूद अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुये गाडी को तेजी से नहर पटरी की तरफ मोड दी, कच्चा रास्ता होने के कारण गाडी अनियन्त्रित होकर गड्डे में पलट गयी। अभियुक्त द्वारा पुनः गाडी से उतरते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा स्वंय का बचाव करते हुये जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी तथा उसके दो अन्य साथी मौका पाकर फरार हो गये। उक्त बदमाश को घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस व 02 मोबाइल फोन बरामद किये गये तथा टाटा पंच गाडी को कब्जे में लिया गया, जिससे बच्चे का स्कूल बैग, किताबे, लंच बॉक्स व ड्रेस की टाई बरामद की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम गौरव पुत्र मनोज निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर बताया तथा मौके से फरार अभियुक्तगण के नाम 1- बल्ली उर्फ बलजीत निवासी कानपुर हाल निवासी जनपद गाजियाबाद 2- सूर्य प्रताप उर्फ सूरज पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर बताये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी धामपुर में भर्ती कराया गया है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि उसकी जमीन गाँव में ही मौसा आशुतोष चौहान के पास गिरवी रखी है। उनसे मेरे पापा ने 17 लाख रुपये कर्जा ले रखा है। इसी वजह से मैने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मौसेरे भाई शशांक की किडनैपिंग की योजना बनायी। योजनानुसार

अर्जुन की टाटा पंच गाडी से अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 19.07.2024 को दोपहर के समय करीब 02.25 बजे शशांक का अपहरण कर लिया था।

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 350/24 धारा 137(2)/61(2)/140(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा घटना में शामिल अभियुक्त अर्जुन पुत्र मान सिंह निवासी म0न0 67 विवेकानंद नगर जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गांव मऊ खास थाना मुंडाली जनपद मेरठ को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र मनोज निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त टाटा पंच गाडी।

एक तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस।

गाडी से बरामद बच्चे का बैग, किताबे, लंच बॉक्स व स्कूल की टाई।

दो मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री किशन अवतार, थाना प्रभारी धामपुर जनपद बिजनौर मय पुलिस टीम।

2- निरीक्षक श्री अमित कुमार, प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर।

3- सर्विलांस टीम, जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना रेहड दिनांक- 20.07.2024

थाना रेहड पुलिस ने मु0अ0सं0 87/24 धारा 137(2)/64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 09.07.2024 को थाना को वादी ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अभियुक्त सुमित पुत्र ब्रजपाल सैनी निवासी ग्राम फजलपुर मछमार थाना रेहड जनपद बिजनौर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया । तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 87/2024 धारा 137 बीएनएस0 पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरण:-

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 87/24 धारा 137(2)/64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र ब्रजपाल सैनी निवासी ग्राम फजलपुर मछमार थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुमित पुत्र ब्रजपाल सैनी निवासी ग्राम फजलपुर मछमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।

2.का0 2513 देव तेवतिया थाना रेहड जनपद बिजनौर।

3.म0का0 736 आरती थाना रेहड जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 20.07.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	अफजलगढ	बिट्टू उर्फ परविन्दर पुत्र सुरेश निवासी ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2	अफजलगढ	सतपाल पुत्र रोशन निवासी ग्राम महसनपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
3	मण्डावली	अमरजीत पुत्र बनारसी निवासी ग्राम सीतावली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
4	मण्डावली	सतनाम पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम सीतावली थाना मण्डावाली जनपद बिजनौर

थाना अफजलगढ़

थाना अफजलगढ़

थाना मण्डावली

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर **दिनांक- 20.07.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 11.08.2023 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 323/23 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 347/23 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र इसरार निवासी मौ0 बागवान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल, बर्तन व अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के दौरान इसके साथी अभियुक्त चांद पुत्र मन्सूर उर्फ भूरा निवासी मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही विवरण:-

आज दिनांक 20.07.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगो में वांछित अभियुक्त चांद पुत्र मन्सूर उर्फ भूरा निवासी मौ0 मिर्दगान बी-10 खस्सो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

चांद पुत्र मन्सूर उर्फ भूरा निवासी मौ0 मिर्दगान बी-10 खस्सो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त चांद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 1055 /2018 धारा 380/457 भादवि थाना को0शहर बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 0726/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 063/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 0774/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना को0शहर बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 323/2023 धारा 379 भादवि थाना किरतपुर बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 347/2023 धारा 380 भादवि थाना किरतपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 443 कपिल कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.का0 315 सहदेव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर   दिनांक – 20.07.2024

थाना धामपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत गायब हुये 11 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2024 शशांक (उम्र 11 वर्ष) पुत्र आशूतोष निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत शिखर शिशु सदन, स्कूल में पढने गया था। स्कूल की वैन, स्कूल से 04 बच्चो को लेकर बच्चो को घर छोडने के लिये निकली तथा स्कूल के ड्राइवर द्वारा प्रतिदिन की भांति समय करीब 02.25 बजे गांव की परचून की दुकान पर 04 बच्चो को उतार दिया, जिसमें से 03 बच्चे अपने घर पहुंच गये लेकिन शशांक अपने घर नही पहुंचा। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर तत्काल मु0अ0सं0 350/24 धारा 137(2) बी0एन0एस पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरो को चेक किया गया तथा आसपास के लोगो से पूछताछ की गयी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु 03 टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान धामपुर पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त अर्जुन तोमर पुत्र मान सिंह निवासी म0न0 67 विवेकानंद नगर गाजियाबाद मूल निवासी गांव मऊ खास थाना मुडाली जनपद मेरठ को गिरफ्तार गया तथा अपहृत शशांक को सकुशल बरामद किया गया। मौके से इसके दो अन्य साथी फरार हो गये। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियोग में 61(2) / 140(2) बी0एन0एस की वृद्धि की गयी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त अर्जुन तोमर ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2021 मे मैने BCA की पढाई IMSVC कॉलेज से की थी तथा मेरे साथ गौरव चौहान पुत्र मनोज चौहान निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर भी पढता था वही से ही मेरी दोस्ती गौरव से हो गयी थी। दोस्ती होने के बाद एक दूसरे के घर आना जाना था। मुझे गौरव ने बताया कि जमीन गिरवी रखकर हमने कर्जा लिया है घर से नौकरी करने का दबाव बनने लगा लेकिन नौकरी नही लगी। गौरव ने बताया कि मेरी जमीन गाँव में ही मेरे मौसा आशुतोष चौहान के पास गिरवी रखी है। उनसे मेरे पापा ने 17 लाख रुपये कर्जा ले रखा है।

इसी वजह से मैने तथा सूर्य प्रताप उर्फ सूरज निराला पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर, गौरव चौहान पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर, बल्ली सिंह पुत्र नामालूम निवासी कानपुर ने मिलकर गौरव के मौसेरे भाई शशांक की किडनैपिंग की योजना बनायी। योजनानुसार मै अपनी टाटा पंच गाडी से अपने साथियों के साथ दिनांक 19.07.2024 को दोपहर के समय करीब 02.00 बजे ग्राम मीमला में इकट्ठे हुए और आशुतोष के लडके शशांक का इंतजार करने लगे। समय करीब 02.25 बजे दोपहर जैसे ही शशांक छुट्टी होने के बाद वापस गाँव आया तो गांव से हमने शशांक का अपहरण कर लिया गया। हमारे साथी सूर्य प्रताप उर्फ सूरज निराला ने उक्त घटना की रेकी की थी और शशांक के अपहरण के पश्चात सूरज निराला गाडी से रास्ते में ही उतर गया था। हम तीनो लोग शशांक को लेकर गाजियाबाद के लिये जा रहे थे, कि रास्ते मे ग्राम दुजाना के जंगल मे सडक के किनारे पहुँचे थे तो शशांक को लघुशंका लगने के कारण मै शशांक को सडक के किनारे खडा कर लघुशंका करा रहा था तभी पुलिस ने मुझे पकड लिया तथा गाडी मे बैठे मेरे दो साथी बल्ली व गौरव मौके से गाडी सहित फरार हो गये थे। मेरे द्वारा फिरौती की मांग हेतु फेसबुक के माध्यम से आशुतोष के फेसबुक पर कॉल व मैसेज भी की गयी थी पर उसने मेरे कॉल व मैसेज का कोई उत्तर नही दिया था जिस फोन से मैने आशुतोष को फेसबुक के माध्यम से काल की थी वह फोन गाडी में ही था जिसे मेरे साथी अपने साथ ले गये है। मैने तथा मेरे साथियो ने यह अपहरण फिरौती के लिये किया था। यदि फिरौती मिल जाती तो उसमे से एक लाख रुपये गौरव ने मुझे देने को कहा था तथा सूर्य कुमार व बल्ली सिंह को भी कुछ रुपये देने की बात तय हुई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अर्जुन पुत्र मान सिंह निवासी म0न0 67 विवेकानंद नगर जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गांव मऊ खास थाना मुंडाली जनपद मेरठ

बरामदगी –

अपहृत शशांक (उम्र 11 वर्ष)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-थाना धामपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मंडावर दिनांक 20.07.2024

थाना मंडावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 208/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस0 से संबंधित अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2024 को सोशल मीडिया पर थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत मेले में मारपीट की एक वीडियो वायरल हुई। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 19.07.2024 को वादी द्वारा थाना मंडावर पर तहरीर दी कि दिनांक 18.07.2024 को थाना मंडावर क्षेत्र के लगने वाले मेले में वादी की भतीजी के साथ कुछ लडको द्वारा कहासुनी की गयी, जिसका पता करने गये वादी के साथ अभियुक्तगण 1- शावेज 2- बल्ला 3- जमशेद पुत्रगण बब्बू 4- दावर पुत्र चन्दा निवासीगण मौ0 शाहविलायत कस्बा मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में मु0अ0सं0 208/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना मंडावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 208/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस0 से संबंधित अभियुक्त शावेज पुत्र बब्बू निवासी मौ0 शाहविलायत थाना मंडावर जनपद बिजनौर को हिरासत में लिया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता –

शावेज पुत्र बब्बू निवासी मौ0 शाहविलायत थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 देवेन्द्र राठी थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी दीपक राणा थाना मंडावर जनपद बिजनौर।